झारखंड मंत्रपिरिषद की बैठक में लयि गए महत्त्वपूर्ण नरि्णय

चर्चा में क्यों?

25 जुलाई, 2023 को झारखंड मंत्रालय में आयोजति मंत्रपिरिषद की बैठक में झारखंड नरि्यात नीतनि-2023 की स्वीकृतदि देने के साथ अनेक महत्त्वपूर्ण नरि्णय लयि गए।

प्रमुख बदि

मंत्रपिरिषद के महत्त्वपूर्ण नरि्णय:-

- झारखंड बजिली वतिरण नगिम लमिटिेड के नदिशक मंडल में मनोनीत नदिशक का प्रावधान करने की स्वीकृतदि दी गई।
- झारखंड सहकारति अंकेक्षक (भरती, प्रोन्नतएिवं सेवा शर्त) संवर्ग नयिमावली, 2014 (प्रवृत्त 24/10/2014) यथा प्रथम संशोधति नयिमावली 2021 की अध्याय-3 सीधी भरती नयिम - 9 (क) न्यूनतम शैक्षणकि योग्यता में संशोधन की स्वीकृतदि दी गई।
- झारखंड बाल वकिास सेवा अराजपत्रति कर्मचारी भरती तथा सेवा शर्त (संशोधन) नयिमावली-2023 की स्वीकृतदि दी गई।
- संवदिा के आधार पर नयिुक्त एवं कार्यरत कर्मयिों को मातृत्व अवकाश की सुवधिा अनुमान्य करने की स्वीकृतदि दी गई।
- वति्त वभिाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत अनयिमति रूप से नयिुक्त एवं कार्यरत कर्मयिों के सेवा नयिमतीकरण की स्वीकृतदि दी गई।
- राज्य कर्मयिों/सेवा नवृित कर्मयिों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृतदि दी गई।
- केंद्र प्रायोजति पुनरीक्षति मशिन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल देख-रेख संस्थानों में आवासति बच्चों को **Maintenance** मद की नए दर की स्वीकृतदि दी गई।
- केंद्र प्रायोजति 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' का मशिन शक्त(िसामर्थ्य) के तहत संशोधति स्वरूप में कार्यान्वयन की स्वीकृतदि दी गई।
- केंद्र प्रायोजति मशिन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालति आँगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत वभिन्नि मदों के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनरि्देश एवं क्रयिान्वयन दर में संशोधन की स्वीकृतदि दी गई।
- केंद्र प्रायोजति कशिोरी बालकिाओं के लयि योजना **(Scheme for Adolescent Girls & SAG)** के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनरि्देश में संशोधन की स्वीकृतदि दी गई।
- केंद्र प्रायोजति योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परविर्तन मशिन 2.0 (अमृत 2.0) के अंतर्गत 8301.21 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृतप्रिाप्त महागामा शहरी जलापूर्तपिरियोजना की प्रशासनकि स्वीकृतदि दी गई।
- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चकिति्सा सहायता अनुदान प्रदान करने की स्वीकृतदि दी गई।
- जल संसाधन, नदी वकिास और गंगा संरक्षण वभिाग, जल शक्तमिंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सुझाव एवं रूप-रेखा **(Framework)** के तहत राज्य के जल संसाधन से संबंधति आँकड़ों के समन्वयन, संग्रहण, प्रसारण तथा राज्य अंतर्गत सभी वभिागों के जलीय आँकड़ों को एक मंच पर लाने हेतु एक समर्पति संगठन के रूप में झारखंड राज्यांतर्गत **State Water Informatics Centre (SWIC)** स्थापति करने की स्वीकृतदि दी गई।
- स्वास्थ्य चकिति्सा शक्षिा एवं परविार कल्याण वभिाग के अंतर्गत झारखंड ऑप्थाल्मकि सहायक संवर्ग (नयिुक्त,ि प्रोन्नतएिवं सेवा शर्त) नयिमावली, 2023 के गठन की स्वीकृतदि दी गई।
- केंद्रीय माल और सेवा कर अधनियिम, 2017 में केंद्र सरकार द्वारा कयि गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधनियिम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) वधियेक, 2023 को झारखंड वधिानसभा के मानसून सत्र में पुर:स्थापति करने पर मंत्रपिरिषद की स्वीकृतदि दी गई।
- झारखंड प्रतयिोगी परीक्षा (भरती में अनुचति साधनों की रोकथाम व नवािरण के उपाय) अधनियिम, 2023 का प्रख्यापन की स्वीकृतदि दी गई।
- झारखंड स्वास्थ्य वज्ञिान वश्ववविद्यालय वधियेक, 2023 की स्वीकृतदि दी गई।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/important-decisions-taken-in-the-jharkhand-council-of-

ministers-meeting

दृष्टि The Vision